न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 21/09(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2009/00025

उनवान

1. बनवारी पुत्र रामचरन
2. रामचरन पुत्र भगवत
3. रामस्वरूप पुत्र भगवत (मृतक)
   - 3/1. जगवती पत्नी रामस्वरूप (मृतक)
   - 3/2. कृष्णमुरारी पुत्र रामस्वरूप
   - 3/3. ऋषि पुत्र रामस्वरूप
   - 3/4. लोकेश पुत्र रामस्वरूप
   - 3/5. भूपेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
4. बृजबासी पुत्र भगवत

} जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री गणेशीलाल (मृतक)
   - 1/1. सुमित्रा वेवा प्रभूदयाल (मृतक)
   - 1/2. सतीश पुत्र प्रभूदयाल
   - 1/3. अनिल पुत्र प्रभूदयाल

   } जातियान बागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 1/4. उषा पुत्री प्रभूदयाल पत्नी अमृतलाल निवासी मुर्धा हाल अध्यापक ग्राम पारवर तहसील महुआ जिला दौसा।
   - 1/5. सुमन पुत्री प्रभूदयाल पत्नी गुरूदयाल निवासी इन्द्रा पार्क मकान नम्बर आर जैड 30 उत्तम नगर दिल्ली।
   - 1/6. अन्जू पुत्री प्रभूदयाल पत्नी सुभाष कौम ब्राहम्ण निवासी महेन्द्र बाग जिला गुडगॉव हरियाणा।

.....रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 28.01.2009 प्र.सं 240/87 व नया 283/08 उनवानी प्रभूदयाल बनाम रामभरोसी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील संख्या :– 36/09(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2009/00021

उनवान

1. बनवारी पुत्र रामचरन
2. रामचरन पुत्र भगवत
3. रामस्वरूप पुत्र भगवत (मृतक)
   - 3/1. जगवती पत्नी रामस्वरूप (मृतक)
   - 3/2. कृष्णमुरारी पुत्र रामस्वरूप
   - 3/3. ऋषि पुत्र रामस्वरूप
   - 3/4. लोकेश पुत्र रामस्वरूप
   - 3/5. भूपेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
4. बृजबासी पुत्र भगवत

जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री गणेशीलाल (मृतक)
   - 1/1. सुमित्रा वेवा प्रभूदयाल (मृतक)
   - 1/2. सतीश पुत्र प्रभूदयाल
   - 1/3. अनिल पुत्र प्रभूदयाल

   जातियान बागरी ब्राहम्ण निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   - 1/4. उषा पुत्री प्रभूदयाल पत्नी अमृतलाल निवासी मुर्धा हाल अध्यापक ग्राम पारवर तहसील महुआ जिला दौसा।
   - 1/5. सुमन पुत्री प्रभूदयाल पत्नी गुरूदयाल निवासी इन्द्रा पार्क मकान नम्बर आर जैड 30 उत्तम नगर दिल्ली।
   - 1/6. अन्जू पुत्री प्रभूदयाल पत्नी सुभाष कौम ब्राहम्ण निवासी महेन्द्र बाग जिला गुडगॉव हरियाणा।

.....रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 28.01.2009 प्र.सं 559/88 उनवानी बृजवासी बनाम प्रभूदयाल

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेन्द्र सिंह अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.05.2024

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 28.01.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो में समान पक्षकार, समान आराजी एवं समान विषयवस्तु होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

2. अपील संख्या 21/09 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1605 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा में वादीगण के पिता का नाम बतौर शिकमी है तथा 12 साल से लगातार काबिज हैं तथा खातेदार हो चुका है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1605 में वादीगण रैस्पो0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 23.04.2001 को डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 13.03.2003 से आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.04.2001 को निरस्त करते हुये प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया गया कि प्रकरण में विधिक प्रावधानो के अनुसार पृथक से तनकी कायम की जाकर दोनों पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावें। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पृथक से तनकी कायम की जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से वादीगण रैस्पो0 का दावा पुनः डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील संख्या 36/09 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1605 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम पिचूना वादीगण अपीलाण्ट की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है। जिसे वादीगण अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के मूर्व से ही निरन्तर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर चालाकी से विवादित आराजी पर शिकमी के इंद्राज करा लिये, जो कि खिलाफ कानून व मौके के विपरीत हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर,

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

बाद सुनवाई दिनांक 23.04.2001 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण अपीलाण्ट ने अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 13.03.2003 से आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 23.04.2001 को निरस्त करते हुये प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया गया कि प्रकरण में विधिक प्रावधानो के अनुसार पृथक से तनकी कायम की जाकर दोनों पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावें। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पृथक से तनकी कायम की जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से वादीगण अपीलाण्ट का दावा पुनः खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 ने अपने दावे में दो प्लीडिंग्स के तहत अनुतोष चाहा गया है। एक तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दूसरा धारा 19(1) एए के तहत। दोनों आधारो को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 का दावा स्वीकार करने एवं अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भूल की है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। विवादित आराजी के अपीलाण्ट संवत 2012 से खातेदार काश्तकार हैं। अतः शिकमी का इंद्राज हो जाने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बल्कि मूल खातेदार के प्रति शिकमी सिद्ध करनी होती है। शिकमी भी पॉच साल से अधिक नहीं हो सकता है। मौखिक कथनो के आधार पर प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हो सकता है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशो की पालना नहीं की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। रैस्पो0 विवादित आराजी पर शिकमी दर्ज है परन्तु रैस्पो0 की ओर से प्रस्तुत दावे में उनके द्वारा स्वयं को शिकमी काश्तकार होने के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं चाही गयी है। जबकि वह स्वयं को दावे में काश्तकार होना बतलाते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में वादी रैस्पो0 के कथनो से बाहर जाकर धारा 19(1) एए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। जबकि रैस्पो0 द्वारा इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बाबत् पूर्व में प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2003 से अधीनस्थ

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय को पुनः वादी रैस्पो0 से प्रार्थना पत्र लेकर एवं पृथक से तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। जिस परं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अतिरिक्त तनकी, तनकी संख्या 3 ए कायम कर दावा वादी रैस्पो0 पुनः डिक्री कर दिया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति का सार यह है कि प्रतिकूल कब्जे एवं धारा 19(1) एए दोनों आधार को एक साथ नहीं लिया जा सकता एवं शिकमी के इंद्राज हो जाने मात्र से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक मूल खातेदार के प्रति वह शिकमी सिद्ध नहीं कर देता। हमने गौर किया। यह सही है कि एक उप अभिधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य से उप काश्त पर लिया जाना साबित करें तथा लगान देना या देने के लिए दायी होना भी आवश्यक है तथा लगान संदाय से पूर्व उप अभिधारी को उप अभिधृति की संविदा को साबित करना भी नितांत आवश्यक है। अतः अपीलाण्ट द्वारा एक भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नही किया, जिसमें उसके शिक़मी खातेदारी के इन्द्राजात अंकित हों, लगान जमा करना साबित होता हो एवं उप अभिधारी की संविदा साबित होती हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये सरसरी तौर पर न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश की पालना ना करते हुये, वादी रैस्पो0 का दावा डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि दोंनों अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2009 अपास्त किये जाकर उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में पुनः विधिअनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.24 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर